कार्यालय कलेक्टर, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अन्तर्गत धारा –93

//अधिसूचना//

भू–अर्जन प्रकरण क्र. 53/अ–82/2014–15 रायगढ़, दिनांक / /2017

उपर्युक्त भू–अर्जन प्रकरण में महाप्रबंधक एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना घरघोडा द्वारा ग्राम– **कोतरलिया** प.ह.नं.– **37**, तहसील व जिला–रायगढ़, की निजी भूमि कुल रकबा **22.724** हे. एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना के रेल लाईन हेतु भू–अर्जन के प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर भू–अर्जन अधिनियम के तहत धारा–11(1) की अधिसूचना तथा धारा–19 की अधिसूचना का प्रकाशन प्रावधानो के अनुसार किया जाकर छत्तीसगढ़ राजपत्र में क्रमशः दिनांक **02/10/2015** तथा दिनांक **03/06/2016** को कराया गया है।

चूँकि अब महाप्रबंधक एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना घरघोडा के द्वारा भू–अर्जन की कार्यवाही हेतु सम्मिलित उक्त भूमि से कुल खसरा **52** कुल रकबा **5.956** हे. भूमि रेल लाईन मे प्रभावित नही होने के फलस्वरूप भू–अर्जन की कार्यवाही से मुक्त करने के अनुरोध पर भू–अर्जन अधिनियम की धारा–93(1) के अनुसार प्रत्याह्यरण किया जाता है।

1. प्रत्याह्यरण हेतु भूमि का विवरण :–

ग्राम– कोतरलिया, प.ह.नं.– 37

क्र.	ख. नं.	रकबा	क्र.	ख. नं.	रकबा	क्र.	ख. नं.	रकबा
1	558/4 से	0.016	**19**	3/1 से	0.073	**37**	82/3 से	0.137
2	44/1 से	0.223	**20**	1/56	0.202	**38**	523 से	0.061
3	212/2 से	0.053	**21**	210/4 से	0.040	**39**	516/1 से	0.028
4	80/3	0.121	**22**	72/1	0.016	**40**	453/1 454/1 से	0.162
5	288 से	0.041	**23**	207/1	0.032	**41**	276/1 से	0.040
6	3/14 से	0.137	**24**	505/1 से	0.292	**42**	277/2 से	0.648
7	108/11	0.405	**25**	282/3	0.061	**43**	413 से	0.028
8	1/31 क	0.131	**26**	270/3 से	0.060	**44**	80/2 से	0.175
9	270/6 से	0.142	**27**	68/1	0.060	**45**	52 से	0.040
10	278/6 से	0.182	**28**	96 से	0.041	**46**	282/2 से	0.048
11	272/9 273/9 274/9 से	0.097	**29**	272/5 273/5 274/5	0.154	**47**	1/1 से	0.162
12	270/7	0.024	**30**	272/10 273/10 274/10 से	0.073	**48**	1/10 से	0.093
13	453/8 454/8 से	0.073	**31**	567/1	0.081	**49**	101/1	0.040
14	1/8 से	0.053	**32**	563/4 से	0.071	**50**	214	0.065
15	1/18 से	0.133	**33**	218/9	0.035	**51**	210/2	0.053
16	3/16 से	0.041	**34**	3/4 से	0.098	**52**	1/27 से	0.303
17	1/50	0.206	**35**	1/57 से	0.029			
18	1/25 से	0.296	**36**	82/2 से	0.081			
कुल खसरा नं. 52 का रकबा 5.956 हे0								

53/अ-82/2014-15 कोनरलिया

2. भू–अर्जन की कार्यवाही से मुक्त किये जा रहे भूमि का ब्यौरा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(शम्मी अबीदी)
कलेक्टर, रायगढ़ एवं पदेन उप सचिव,
छ.ग. शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

प्रतिहस्ताक्षर

भू–अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

9/8